कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

51 (65)

पत्रांकः 1344 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम-54/97 दिनांकः 07/02/2013

कार्यालय-ज्ञाप

मेसर्स चौहान बिल्डर्स, 1082/ए, गाँधीनगर, रायबरेली का मार्ग श्रेणी 'ए' में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-944एम0टी0/सामान्यवर्ग/54एम0-54/97 दि0-17.2.2011 द्वारा किया गया था, जिसकी वैधता दि0-30.6.2013 तक है। अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0, रायबरेली द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उनके खण्ड के अन्तर्गत मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में दि0-18.7.2012 द्वारा निविदायें आमत्रित की गयी थी, जो दि0-09.8.2012 को जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा नामित अधिकारी-निविदा (सिटी मजिस्ट्रेट) एवं निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष बचत भवन कार्यालय/सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, रायबरेली में खोली गयी। इन निविदाओं में ग्रुप सं0-7 एवं 9 के सम्बन्ध में उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा डाली गयी थी, जो अपूर्ण होने के कारण सील कर दी गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0 रायबरेली को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी सहित अन्य को पृष्ठाकिंत शिकायती पत्र दि0-13.8.2012 प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जॉच जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-3 रायबरेली को सौपी गयी थी। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-3 रायबरेली के पत्र दि0-16.8.2012 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0 रायबरेली तथा फर्म/ठेकेदार को दि0-22.8.2012 को जॉच कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, किन्तु अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-3, रायबरेली का उपरोक्त पत्र अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, रायबरेली को दिनांक-24.8.2012 को प्राप्त होने के फलस्वरूप, दि0-22.8.2012 को जांच कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-3, रायबरेली द्वारा दि0-23.8.2012 को दूरभाष पर अधिशासी अभियन्ता को अवगत कराये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अभिलेखों का परीक्षण कराया गया, जिस समय संबंधित ठेकेदार भी उपस्थित थे। पुनः ठेकेदार के उक्त शिकायती पत्र पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रायबरेली के पत्र दि0-24.8.2012 द्वारा ठेकेदार को दि0-25.8.2012 को मध्यान्ह 12.00 बजे अभिलेख उपलब्ध कराने तथा वार्ता करने हेतु प्रशासनिक कक्ष में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया, जिसके अनुपालन में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित तिथि को ठेकेदार की उपस्थिति में अभिलेखों का परीक्षण कराते हुए वांछित सूचनायें अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी। जांच कार्यवाही के उपरान्त लगभग अपरान्ह 4.00 बजे ठेकेदार, अधिशासी अभियन्ता नि0खण्ड-2 लो0नि0वि0 रायबरेली के कार्यालय गये और वहाँ पर ऊंची आवाज में अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कार्यालय कर्मचारियों को अपमानित कर धमकाया और यह कहा कि ''मैं एक-एक कर्मचारी को देख लूंगा।'' ठेकेदार के उक्त कृत्य से सम्बन्धित कार्यालय के कर्मचारी भयाक्रान्त महसूस कर रहे है, जिस अपकृत्य के सम्बन्ध में खण्ड के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र दि0-27.8.2012 द्वारा लिखित शिकायत की गयी है। यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि नि0खण्ड-2, रायबरेली तथा जनपद के अन्य खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में उक्त ठेकेदार के पक्ष में गठित अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित कार्य अनुबंधित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नही किये जाते है तथा प्रत्येक कार्य में समयवृद्धि की माँग करके कार्य अत्यन्त विलम्ब

शेष 2....पर

से पूर्ण किए जाने की मनोवृत्ति अपनाई जाती है, जिससें विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप सम कार्य पूर्ण न होने के कारण विभागीय अधिकारियों को विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है।

फर्म/ठेकेदार द्वारा जनपद-रायबरेली के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत कार्यो के सम्बन्ध में ग अनुबंधों के सापेक्ष अनुबंध में दी गयी समयसीमा के अन्तर्गत कार्य न कराने, कार्य पूर्ण करने अनावश्यक समयवृद्धियाँ माँग कर विभागीय अधिकारियों के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न करने तथा दि 25.8.2012 को खण्डीय कार्यालय में जाकर अमर्यादित असंसदीय आचरण करके कर्मचारियों को डरा धमकाने की मनोवृत्ति अपनाकर शासकीय कार्य में व्यवधान डालने आदि के लिये दोषी मानते हुए उनका मार्ग श्रेणी 'ए' का पंजीकरण निरस्त कर कालीसूची में डाले जाने के पूर्व इस कार्यालय के पत्र सं0-8484एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-54/97 दि0-21.9.2012 द्वारा कारण बताओं नोटिस दी गयी, जिसका उत्तर फर्म/ठेकेदार ने अपने पत्र दि0-9.10.2012 द्वारा कतिपय अभिलेखों व अपने पत्र दि0-17.9.2012 की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया। प्रकरण मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र लो0नि0वि0, लखनऊ से सम्बन्धित होने के कारण ठेकेदार से प्राप्त कारण बताओं नोटिस का उत्तर दि0-09.10.12 की प्रति संलग्नकों को सहित मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0 लखनऊ को भेजकर उनकी संस्तुति माँगी गयी, जिस पर मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0-521 सी0ई0सी0जेड0-कैम्प-एस0एसओ0-परि0राय0/2012 दिनांक-11.12.2012 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0 रायबरेली के पत्रांक-360/कैम्प-05/14लेखा/12 दि0-23.11.2012 एवं अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-494/6कैम्प-ल0वृ0/2012-13 दि0-03.12.2012 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अधीनस्थ कार्यालय द्वारा की गयी संस्तुति से सहमति व्यक्त करते हुए फर्म का पंजीकरण निरस्त कर कालीसूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी, परन्तु अपना अभिमत नही दिया गया। जिसके क्रम में उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-1107एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-54/97 दिनांक-11.1.2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ से प्रकरण पर उनका अभिमत संस्तुति सहित मांगा गया, जिसके संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के पत्र सं0-570सी0जेड0काम/ 9सी0जेड0काम/2012 दि0-23.1.2013 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-1/2 रायबरेली एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खण्ड, रायबरेली से जानकारी करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि मेसर्स चौहान बिल्डर्स, 1082/ए, गाँधीनगर, रायबरेली का आचरण अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति अशोभनीय एंव अमर्यादित है। जिसके फलस्वरूप ठेकेदारी के वर्गीकरण एवं पजीकरण नियमावली 1982 के नियम-15 के अन्तर्गत फर्म को कालीसूची में डाले जाने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0 नि0वि0 लखनऊ द्वारा की गयी। इस प्रकार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0 रायबरेली/ अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नही पाया गया तथा फर्म/ठेकेदार द्वारा किये गये कृत्यों हेतु दोषी मानते हुए उसका पंजीकरण निरस्त कर कालीसूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संज्ञान में एवं अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि0 रायबरेली, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त उक्त फर्म मेसर्स चौहान बिल्डर्स, 1082/

शेष 3.....पर

ए, गॉधीनगर, रायबरेली का इस कार्यालय के पत्र सं0-944एम0टी0/सामान्यवर्ग/54एम0-54/97 दिनांक-17.2.2011(जो दिनांक-30.6.2013 तक वैध है) द्वारा किये गये मार्ग श्रेणी 'ए' के पंजीकरण को निरस्त करते हुए उक्त फर्म/ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट (**Black List**) किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

ह0/-
(सुरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0 लखनऊ को उनके पत्रांक-521सी0सी0जेड0-कैम्प- एस0एस0 ओ0-परि0राय0/2012 दि0-11.12.2012 व पत्रांक-570सी0जेड0 काम0/9सी0जेड0 काम0/12 दि0-23.1.2013 के संदर्भ में।
5. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ को उनके पत्रांक-494/6कैम्प-ल0वृ0/12-13 दि0-03.10.2012 के संदर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2, लो0नि0वि रायबरेली को उनके पत्र सं0-360/कैम्प/14लेखा/12 दि0-23.11.2012 के संदर्भ में।

पंजीकृत 10. श्री कृष्ण कुमार सिंह (मुख्तार) मेसर्स चौहान बिल्डर्स, 1082/ए, गॉधीनगर, रायबरेली।

7/7/13
(संजय)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ